पटना में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में

2014 की लेटर्स पेटेंट अपील No.1355

2012 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला No.18767

==========

प्रभु नाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर सिंह निवासी- बी/503, ऑफिसर्स होस्टेल, बेली रोड, पुलिस स्टेशन शास्त्रीनगर, जिला पटना ।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिवालय (नागरिक उड्डयन) पुराना सचिवालय, पुलिस स्टेशन-सचिवालय, जिला-पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, पी. एस. सचिवालय, जिला पटना।
3. निदेशक सह मुख्य पायलट, नागरिक उड्डयन मंत्रिमंडल सचिवालय, पटना हवाई अड्डा, सरकारी हैंगर, पटना
4. उप सचिव, नागरिक उड्डयन, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नई दिल्ली के माध्यम से।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट **---** खंड **10 ---** भारतीय संविधान **---** अनुच्छेद **309 ---** सेवा कानून **---** पदोन्नति **---** रिट कोर्ट के निर्णय को चुनौती जिसके तहत अपीलकर्ता को उप मुख्य विमान इंजीनियर के पद पर इस आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था कि उसे नागरिक विमानन महानिदेशक **(DGCA)** द्वारा रखरखाव प्रबंधक के रूप में स्वीकार और अनुमोदित नहीं किया गया है **---** दलील है कि **DGCA** से रखरखाव के लिए अनुमोदन प्राप्त न करने में बिहार सरकार की ओर से चूक को इस तरह से जिम्मेदार नहीं

ठहराया जा सकता है कि अपीलकर्ता के पदोन्नति मांगने के अधिकार को पराजित किया जाए, क्योंकि उसे अपने लाइसेंस की स्थिति और विमानों के प्रकार से संबंधित अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।

हेल्ड : विवादित निर्णय गलत धारणा पर आधारित है, क्योंकि डीजीसीए से प्रमाणन प्राप्त करना संगठन की आवश्यकता है, न कि व्यक्ति की - बिहार सरकार को डीजीसीए से प्रमाणन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया - अपील को इस टिप्पणी के साथ अनुमति दी गई कि यदि डीजीसीए द्वारा बिहार सरकार को प्रमाणन प्रदान किया जाता है, तो अपीलकर्ता की योग्यता और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके दावे पर पुनर्विचार किया जाएगा। **(**कंडिका **7,9,10,12)**

पटना में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में

2014 की लेटर्स पेटेंट अपील No.1355

2012 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला No.18767

==========

प्रभु नाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर सिंह निवासी- बी/503, ऑफिसर्स होस्टेल, बेली रोड, पुलिस स्टेशन शास्त्रीनगर, जिला पटना।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिवालय (नागरिक उड्डयन) पुराना सचिवालय, पुलिस स्टेशन-सचिवालय, जिला-पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, पी. एस. सचिवालय, जिला पटना।
3. निदेशक सह मुख्य पायलट, नागरिक उड्डयन मंत्रिमंडल सचिवालय, पटना हवाई अड्डा, सरकारी हैंगर, पटना
4. उप सचिव, नागरिक उड्डयन, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नई दिल्ली के माध्यम से।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री रजनी कांत झा अधिवक्ता,

बिहार राज्य के लिए : श्री अजय कुमार रस्तोगी एएजी-10:,

भारत संघ के लिए : श्री कुमार प्रिया रंजन, सी. जी. सी.

==========

समक्षः माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

और

माननीय न्याय मूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा/

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायमूर्ति)

तारीखः 12-03-2019

यह उप मुख्य विमान अभियंता के पद पर पदोन्नति का दावा करने वाले अपीलार्थी द्वारा उठाया गया विवाद है। पदोन्नति के नियमों पर कोई विवाद नहीं है जो 7 जून, 1997 की अधिसूचना के परिशिष्ट ए में निहित हैं, जिसके तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन विषय के संबंध में बनाए गए हैं।

2. पदोन्नति के पद का उल्लेख उक्त परिशिष्ट के मद संख्या 8 में मिलता है और जो निम्नानुसार प्रावधान करता हैः-

8. उप मुख्य विमानन अभियंता	राजपत्रित	3700,5000	ए सी एंड एक्स लाइसेंस, सी, आपेन को प्राथमिकला 1 किंग एयर सी 90, वैरन-55 डचेज 76 एवं बोनान्जा विमानों के अनुरक्षण का कम से कम सात वर्षो का कार्यानुभव।	तथैव	तथैव	तथैव

3. अपीलार्थी के दावे को राज्य सरकार ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी को डी. जी. सी. ए. द्वारा रखरखाव प्रबंधक के रूप में स्वीकार और अनुमोदित नहीं किया गया है।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के अनुभव को भाया-मीडिया येन केन अपनाए गए पदोन्नति के दावे के रूप में वर्णित किया और फिर अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि वास्तविक अनुभव की आवश्यकता थी और परिणामस्वरूप अस्वीकृति के आदेश को बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री रजनी कांत झा ने आग्रह किया है कि इस अपील में मामला उठाया गया था और पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद महानिदेशक नागरिक उड्डयन (डी. जी. सी. ए.) को 9 अक्टूबर, 2018 को इस अपील में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में शामिल किया गया था और उक्त प्राधिकारी को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, उक्त प्राधिकारी द्वारा श्री कुमार प्रिया रंजन, विद्वान वकील के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया गया है, जिन्होंने न्यायालय का ध्यान उसमें वर्णित तथ्यों की ओर आकर्षित किया है, जिसमें ऊपर उद्धृत नियमों के तहत आवश्यक बुनियादी योग्यताओं को स्वीकार किया गया है, लेकिन अनुमोदन अनुदान की व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि बिहार सरकार, नागरिक उड्डयन विभाग नागरिक उड्डयन आवश्यकता-145 के तहत कोई अनुमोदन नहीं है और चूंकि बिहार सरकार द्वारा ऐसा कोई रखरखाव कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए उस स्थिति में अपीलार्थी को उसमें निर्दिष्ट विमान के प्रकार, अर्थात् किंग एयर सी 90 के साथ खुद को जोड़ने का अनुभव है, लेकिन यह डीजीसीए से ऐसी मंजूरी के अभाव में अपीलार्थी का स्वचालित अनुभव नहीं होगा।

6. श्री झा ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया है कि रखरखाव अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है और एक श्री नवीन कुमार जो मैसर्स इनोवेटिव एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तथ्य के बावजूद रखरखाव का काम कर रहे हैं कि वह वर्ष 2013 का लाइसेंस धारक हैं और इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता उनसे वरिष्ठ है क्योंकि उन्हें पहले ही वर्ष 2012 में लाइसेंस दिया जा चुका था। श्री झा का तर्क है कि जब तक अपीलकर्ता द्वारा वैधानिक आवश्यकता को पूरा किया जाता है, तब तक पदोन्नति की मांग करने के अपीलकर्ता के अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता है।

7. यह उनका तर्क है कि अतिरिक्त आवश्यकता जो अब विवादित आदेश के साथ-साथ डी. जी. सी. ए. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में बताई गई है, वह अभी तक नियमों में नहीं पाई गई है, इसके बावजूद कि डी. जी. सी. ए. से रखरखाव के लिए

अनुमोदन नहीं लेने में बिहार सरकार की ओर से चूक को इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ताकि पदोन्नति की मांग करने वाले अपीलार्थी के अधिकार को विफल किया जा सके, जहाँ तक, उसे अपने लाइसेंस की स्थिति और उसमें उल्लिखित विमानों के प्रकार से संबंधित अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।

8. यह विवाद में नहीं है कि उप मुख्य अभियंता का पद खाली है और इसलिए, विचार के लिए उपलब्ध है।

9. हमने उठाई गई दलीलों पर विचार किया है और हमने जो पाया है वह यह है कि बिहार सरकार द्वारा अपीलार्थी को इस आधार पर पदोन्नति से इनकार करने का आदेश कि उसके पास अनुमोदन नहीं है, एक गलत धारणा है, क्योंकि यह अब डी. जी. सी. ए. की ओर से दायर हलफनामों से स्पष्ट किया गया है की प्रमाणन का होना संगठन के लिए आवश्यक है न कि व्यक्ति के लिए । व्यक्ति के पास भले ही अनुभव हो, फिर भी रखरखाव के संबंध में बिहार सरकार को डी. जी. सी. ए. से प्रमाणन के अभाव में, हम पाते हैं कि अपीलार्थी के पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार में बाधा आ रही है।

10. नतीजतन, रिट याचिका को खारिज करना उचित नहीं लगता है और हमारी राय में, बिहार सरकार को डी. जी. सी. ए. से आवेदन करने और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एक आदेश जारी किया जाना चाहिए, जैसा कि डी. जी. सी. ए. की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में किए गए प्रकटीकरण से स्पष्ट है, जिसे सरकार जल्द से जल्द कर सकती है, लेकिन आज से तीन महीने बाद नहीं। डी. जी. सी. ए. कानून के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए खुला रहेगा।

11. तदनुसार, हम 16 अप्रैल, 2014 के विवादित फैसले के साथ-साथ 24 मार्च, 2014 के विवादित आदेश को भी दरकिनार करते हैं।

12. तदनुसार, अपील की अनुमति, उपरोक्त निर्देश के अधीन है और यदि डी. जी. सी. ए. द्वारा बिहार सरकार को प्रमाणन प्रदान किया जाता है, तो उस स्थिति में अपीलार्थी के दावे पर उसकी योग्यताओं और अन्य ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जाएगा जो उप मुख्य विमान अभियंता के रूप में पदोन्नत होने के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

(अंजना मिश्रा, न्यायमुर्ति)

पी.के.पी./जगदीश

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।